



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242123
CG-DL-E-20012023-242123

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023

का.आ. 340(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 12 अगस्त, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3797(अ), तारीख 10 अगस्त, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "बर्तमान" (बंगाली) और "द स्टेट्समैन" (अंग्रेजी), तारीख 25 अगस्त, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदे"1 पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: पूर्व बर्धमान

क्रम संख्या	थाना का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित क्षेत्रफल		मालिक का नाम / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
						एकड़ में	हैक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	गलसी-I (बुदबुद)	कोन्दाइपुर-41 (एल. आर.)	1087	रायत	डांगा	0.060	0.02428	भारत सरकार; रेल मंत्रालय, अनन्त भूषण सेनापति पुत्र शशिभूषण, चन्दना आंकुरे पत्नी भैरव चंद्र, बर्गा सुदन आंकुरे पुत्र चेतन।

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2377]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2023

S.O. 340(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3797(E), dated the 10th August, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th August, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Purba Bardhaman in the State of West Bengal;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers “Bartaman” (Bengali) and “The Statesman” (English), dated the 25th August, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and accordingly orders have been passed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Purba Bardhaman in the State of West Bengal.

DISTRICT: Purba Bardhaman

SL. NO.	POLICE STATION	NAME OF MOUZA WITH JL NO.	PLOT NO.	TYPE OF LAND	NATURE OF LAND	ACQUIRED AREA		NAME OF THE LAND OWNER/ INTERESTED PERSON
						ACRE	HECTARE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Galsi-I (Budbud)	Kondaipur-41 (L. R.)	1087	Raiyat	Danga	0.060	0.02428	Government of India, Ministry of Railways, Ananta Bhusan Senapati son of Sashibhusan, Chandana Ankure wife of Bhairab Chandra, Barga Sudan Ankure son of Chaitan.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2377]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)